

## ॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥

क्रमांक:- क.शाखा/e-Prisons/2020/ १७२२ - ८३। दिनांक- १४/०५/२१

समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी  
केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह/वि.के. कारागृह/  
महिला बंदी सुधारगृह/किशोर बंदी सुधारगृह/  
उच्च सुरक्षा कारागृह एवं खुला बंदी शिविर, राजस्थान।

विषय:- कारागृहों मैं ई-प्रिजन्स कार्य हेतु सहायक यूजर बनाये जाने के संबंध में।

यह ध्यान में आया है कि राज्य की कारागृहों पर ई-प्रिजन्स सॉफ्टवेयर पर बंदियों की अधिकाशा एन्ट्री का कार्य सम्बन्धित कारागृह के एडमिन यूजर आई.डी. से किया जा रहा है। पूर्व में अनेकों बार निर्देशित किया गया है कि ई-प्रिजन्स पर एडमिन यूजर आई.डी. का प्रयोग रिपोर्ट जनरेशन, सहायक यूजर क्रियेशन, बंदियों का अन्य जेल पर वारन्ट की आगामी पेशी अपडेशन, ई-मुलाकात की स्वीकृति आदि कार्यों को छोड़कर अन्यथा नहीं किये जाये तथा बंदियों की दिनप्रति एन्ट्री सहायक यूजर आई.डी. के माध्यम से ही की जाये, किन्तु इसकी कठोरता से पालना नहीं हो रही है। अतः भविष्य में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर एडमिन यूजर आई.डी. के माध्यम से सामान्य एन्ट्री का कार्य बन्द किया जाये एवं ई-प्रिजन्स पर कार्य कर रहे सभी कार्मिकों के नाम से आवश्यक रूप से सहायक यूजर बनाये जाये।

अतः समस्त प्रहराधिकारी, अधीक्षक, उपाधीक्षक व कारापाल (ई-प्रिजन्स) इस निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

अलीम.  
(आलीक वशिष्ठ)

महानिरीक्षक कारागार,  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :- निमांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर/जोधपुर/उयपुर।
2. प्रभारी कम्प्यूटर लैब, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।

अलीम.  
महानिरीक्षक कारागार,  
राजस्थान, जयपुर